भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2016

11 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न का वितरण

2016. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत घटिया, क्षतिग्रस्त, फफूंद से प्रभावित या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्नों के वितरण के संबंध में गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अस्वीकृत अथवा प्रतिस्थापित खाद्यान्नों की मात्रा सहित ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निलबंन, जुर्माना, काली सूची में डालने या अभियोजन सहित कितने अधिकारियों, परिवहन, ठेकेदारों, भंडारण एजेंसियों और उचित दर की दुकानों के डीलरों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की गई है और उनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और लाभार्थियों की गरिमा और खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने के लिए सख्त गुणवत्ता जांच, समय पर वास्तविक निगरानी और जवाबदेही उपाय शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): असम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत घटिया, क्षतिग्रस्त, फफूंदयुक्त या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्नों के वितरण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग ने खाद्यान्नों के गुणवत्ता मानकों को उनकी खरीद, भंडारण से लेकर भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को वितरण किए जाने तक समान रूप से बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली तैयार की है और जारी की है।

(ख) से (घ): उपरोक्त (क) के मद्देनजर ये प्रश्न नहीं उठते।
